झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक– 03/स्था० पद०–4–8/14 रॉची, दिनांक :–

आदेश

दिनांक 11.09.14 को जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) के स्थानान्तरण पदस्थापन निमित सम्पन्न स्थापना समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार दो कनीय अभियंताओं को, स्तंभ 03 में वर्णित पदस्थापन स्थान से स्थानांतरित करते हुए उनकी सेवा उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 04 में अंकित परिक्षेत्र/विभाग में सौंपी जाती है जिसकी सूची निम्नवत हैं –

क्रमांक	कनीय अभियंता का नाम/ आई॰डी॰/जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री अमृत चरमाको जे सी०–0200/ 12.08.82	कोनार नहर प्रमंडल, डुमरी, गिरीडीह	मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग	मुख्य अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग के अनुशंसा के आधार पर
2	श्री सिद्धार्थ कुमार आर्य जे सी० 0003/01.03.78	सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची के अनुशंसा के आधार पर

2. स्थानांतरित कनीय अभियंता आदेश निर्गत होने की तिथि से सात दिनों के अन्दर पूर्ण प्रभार सौंपकर नव पदस्थापित स्थान/कार्यालय/प्रक्षेत्र/विभाग में अपना योगदान निश्चित रूप से समर्पित करेंगे तथा इसका अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को 10 दिनों के अंदर उपलब्ध करायेंगे।

3. संबंधित मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कनीय अभियंता को ससमय विरमित कराकर नवपदस्थापन स्थान पर योगदान सुनिश्चित करायेंगे एवं एतद्संबंधी प्रतिवेदन 10 दिनों के अंदर विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

4. आदेश का अनुपालन सख्ती से किया जाय।

5. सभी स्थानांतरित कनीय अभियंता का माह अक्टूबर 2014 का वेतन नए स्थान से देय होगा।

6. आदेश पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(इग्नेस कुजूर)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 8014 रॉची, दिनांक :– 17-09-14

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची/माननीया विभागीय मंत्री (जल संसाधन) के आप्त सचिव (दो

प्रतियों में)/अभियंता प्रमुख–01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची/संबंधित सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई सहित)/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित सभी कनीय अभियंता/बायोडाटा कोषांग/प्रशाखा 01, 02 एवं 03/वेब मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर Upload करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सर्मपित प्रेषित।

17/9/14

(इग्नेस कुजूर)

सरकार के अवर सचिव

17/9/14

D:\important\Adesh&Sudhipatra SEC-3 (2014)\Aadesh@18-06-14.doc